

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक:- मुसप्र/विलम्ब अवधि नियमन/50/2009/1444

दिनांक:- 4-12-09

कार्यालय-आदेश

मण्डल की 208वीं बैठक दिनांक 17.11.2009 के निर्णय बिन्दु संख्या 208.11 के अन्तर्गत लिये गये निर्णयानुसार यह आदेश जारी किये जाते है कि मण्डल की आवासीय योजनाओं में प्लिथ स्तर तक आवंटित आवासों के आवंटन के 2 वर्ष की नियत अवधि में आवंटी द्वारा निर्माण कार्य पूर्ण नहीं कराये जाने पर आगामी 4 वर्षों के लिये तत्समय आवंटन पत्र में अंकित भूमि के मूल्य का 5 प्रतिशत प्रशासनिक शुल्क प्रतिवर्ष वसूल करते हुए भवन निर्माण कराने की समयावधि बढ़ाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।


५६

(पवन कुमार गोयल)

आवासन आयुक्त

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख निजी सचिव-अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. निजी सचिव-आवासन आयुक्त, रा0 आ0 मण्डल, जयपुर।
3. मुख्य अभियन्ता/सचिव/निदेशक विधि, रा0 आ0 मण्डल, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-प्रथम/द्वितीय/तृतीय, पी. एण्ड एम./वित्तीय सलाहकार/तकनीकी सहायक, आवासन आयुक्त/जन सम्पर्क अधिकारी, रा0आ0म0, जयपुर।
5. उप आवासन आयुक्त-वृत्त-..... रा0आ0म0,
6. आवासीय अभियन्ता, खण्ड-.....रा0आवम0,
7. रक्षित पत्रावली।


मुख्य सम्पदा प्रबन्धक

ACBPM-817
4-12-09

ACB/PAL
PR uploaded on
RHB website
7/12